(57)

निग० 5649/2018/रीवा/भू-रा०

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा म.प्र.

जीतेन्द्र प्रताप सिंह तनय रामप्रसाद सिंह निवासी ग्राम शाहपुर तह. नईगढ़ी जिला रीवा म.प्र. ....निगरानीकर्ता

बनाम्

शासन म.प्र. ....गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध राजस्व निरीक्षक/प्रभारी तहसीलदार तह. नईगढी सर्किल रामपुर जिला रीवा म.प्र. के द्वारा किया गया नक्शा तरमीम

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 ई.

अधि० श्री बृजेन्द्र सिंह द्वारा पेश। 14.9.18

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं–

1– यह कि यह तथ्य निर्विवाद है कि आराजी नं. 45/1 रकबा 4.45 ए. व 45/2 रकबा 0.22 डि. ग्राम शाहपुर तह. नईगढ़ी का काबिज मालिक भूमिस्वामी है तथा निगरानीकर्ता का आराजी नं. 45/2 रकबा 0.22 डि. पर मौके से पुस्तैनी मकान व जार की बाउण्ड्री बनी हुई थी जो जीर्ण शीर्ण होने पर निगरानीकर्ता द्वारा रकम खर्च कर पक्का मकान बनाकर आबाद है पक्की बाउण्ड्री बनाकर कब्जे दखल में है।

2– यह कि हल्का पटवारी अथवा राजस्व निरीक्षक को विधिवत मौके से कब्जा दखल के अनुसार नक्शा तरमीम की कार्यवाही की जानी चाहिए किन्तु हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा निगरानीकर्ता को सूचना दिए बिना व मौके का स्थल निरीक्षण किये बिना अपने मन से मौके के कब्जे की स्थिति के विपरीत कायम बटांकों को राजस्व नक्शे में प्रदर्शित कर दिया गया है, जिससे मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है ऐसी स्थिति में उक्त तरमीम कार्यवाही स्वमेव ही निरस्त योग्य है।

3– यह कि राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी को विधिवत नक्शा तरमीम हेतु स्थल निरीक्षण कर तरमीम प्रस्ताव लेकर व क्ब्जे की स्थिति के अनुसार नक्शा तरमीम किया जाना चाहिए किन्तु उक्त तथ्य पर कोई विचार किये बिना आवेदक के स्वत्व व कब्जे दखल की भूमि नं. 45/2 को अन्यत्र प्रदर्शित कर दिया गया है जबकि आराजी नं. 45/2 को मुताबिक नजरी नक्शा अनुलग्न "अ" रेखांकित किया जाना चाहिए ऐसी स्थिति में भी आदेश अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक निरस्त योग्य है।

........2

(57)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R. 5649- रीवा/18 जिला– रीवा

जीतेन्द्र प्रताप सिंह विरूद्ध शासन (म.प्र.)

(1)	(2)	(3)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री बृजेन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~तहसीलदार~~/ ~~नायब तहसीलदार~~/राजस्व निरीक्षक, तहसील नईगढ़ी के प्रकरण क्रमांक नकशा तरमीम में पारित आदेश दिनांक x के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की **धारा 54(ए) के अन्तर्गत** सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 6-3-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

किया जाना चाहिए ऐसी स्थिति में भी आदेश अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक निरस्त योग्य है।